



झारखण्ड सरकार

परिवहन विभाग (सड़क सुरक्षा)



## प्रत्येक जिले में ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खोलने का सुनहरा अवसर

राज्य के उपक्रम/एन0जी0ओ0/ट्रस्ट/को-ऑपरेटिव सोसाईटी/वाहन निर्माता/फर्म/व्यवसायी/सक्षम नागरिक – प्रतिनिधि कृपया ध्यान दें।

**कुल लागत का 50 प्रतिशत (अधिकतम एक करोड़ रुपये तक) की सब्सिडी का प्रावधान**

प्रत्येक जिले में खुलेगा एक ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर (बड़े जिले में आवश्यकता अनुसार दो तक)

### आवश्यक शर्तें :-

- 1- व्यक्तिगत या लीज पर 02 (दो) एकड़ भूमि।
- 2- ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर हेतु दो क्लासरूम, जिसमें कम्प्यूटर और मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर के साथ ड्राइविंग ट्रेनिंग संबंधी पाठ्यक्रम की सुविधा हो।
- 3- ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के साथ बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम।
- 4- दो प्रकार के वाहनों (LMV/HMV) के लिए ट्रेनिंग हेतु दो सिमुलेटर, दो वाहन (Dual Control) एवं ड्राइविंग ट्रैक।
- 5- अन्य आवश्यक सुविधा यथा वर्कशॉप, प्रसाधन, प्रशिक्षक आदि।

- ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना हेतु सभी इच्छुक एजेंसी द्वारा वांछित कागजात के साथ विस्तृत प्राक्कलन (DPR) तैयार कर DPR पर जिला उपायुक्त के प्रतिहस्ताक्षर के उपरांत परिवहन आयुक्त, झारखण्ड, राँची के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
- विशेष जानकारी अपने जिले के जिला परिवहन पदाधिकारी से प्राप्त की जा सकती है।
- आवेदन हेतु फॉर्म एवं विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट [www.jhtransport.gov.in](http://www.jhtransport.gov.in) पर उपलब्ध है।

आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि

**31-07-2018**

**सड़क सुरक्षा हमारी प्रतिबद्धता - बेहतर प्रशासन हमारा संकल्प**